न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 336/2015
पंजीयन दिनांक 04.11.2015

(1). राजेन्द्र कुमार पिता विजयसागर जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). चन्द्रप्रकाश पिता विजयसागर जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). यशवन्त कुमार पिता विजयसागर जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). मंजु पुत्री विजयसागर पत्नी सिद्धार्थ कुमार जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(5). आशा पुत्री विजयसागर जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(6). मंजुला बेवा स्वर्गीय योगेन्द्र कुमार जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(7). नीतू पुत्री स्वर्गीय योगेन्द्र कुमार जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). हमीद मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद मंसूरी निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). विजयसागर पिता भूरसागर जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). ओमप्रकाश पिता विजयसागर जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 132/2010 निर्णय एवं डिकी दिनांक 05.06.2015

राजस्व अपील प्राधिकारी

उपस्थित वक्त बहस-(1). सत्यनारायण ईनाणी-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). सम्पतलाल जणवा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). रेस्पोडेन्टगण सख्या 2 व 3- अनुपस्थित
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4

निर्णय

दिनांक 18.08.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांट्गण वादीगण ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट्गण वादीगण एवं रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 एक ही परिवार के सदस्य है, अपीलांट्गण वादीगण एवं रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 स्वर्गीय सूरसागर के वंशज है तथा सूरसागर का एकमात्र पुत्र रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 विजयसागर है । रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 विजयसागर के पांच पुत्र अपीलांट्गण वादीगण संख्या 1 से 3, रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सख्या 3 एवं अपीलांट्गण वादीगण संख्या 5 से 7 का पति एवं पिता योगेन्द्र कुमार है। योगेन्द्र कुमार की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस अपीलांट वादी संख्या 5 पत्नी , अपीलांट वादी संख्या 6 पुत्री व अपीलांट वादी संख्या 7 पुत्र है। मौजा घोसुण्डा की खाता संख्या 438 मे दर्ज आराजी संख्या 1437, 1438, 1472 किता 3 रकबा 1.90 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात जो कि अपीलांट्गण वादीगण एंव रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की पैतृक कृषि आराजीयात है जिसमे अपीलांट्गण वादीगण एवं रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/8 , 1/8 हक हिस्सा निहित है। अपीलांट्गण वादीगण एवं रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 अपने-अपने हक हिस्से अनुसार उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित पैतृक कृषि आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं के नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाते हुए रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सख्या 1 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.05.1998 को उक्त आराजीयात विक्रय कर दी, उक्त विक्रयशुदा पैतृक कृषि आराजीयात मे अपीलांट्गण वादीगण व रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हक हिस्सा निहित होने से रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सख्या 2 को उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित पैतृक कृषि आराजीयात को विक्रय करने का कोई अधिकार नही था जिससे उक्त विक्रय पत्र अपीलांट्गण वादीगण के हक अधिकारों के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है। जिससे अपीलांट्गण वादीगण उक्त वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात मे उक्त उनके निहित 6/8 हक हिस्से तक शून्य घोषित करा स्वयं

खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात का विक्रय के समय कोई विभाजन नहीं हुआ था जिससे बिना विभाजन कराये उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात को विक्रय करने का कोई अधिकार रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 को नहीं था। यदि विक्रय पत्र को सही माना जावे तब भी रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 को स्वयं के निहित 1/8 हिस्से को ही विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था। अन्त मे अपीलांट्गण वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त विक्रय पत्र को अपीलांट्गण वादीगण के हक अधिकारो के मुकाबले शून्य घोषित किया जाकर अपीलांट्गण वादीगण को उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात मे निहित उनके 6/8 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के 1/8 हिस्से एंव रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सख्या 3 के 1/8 हक हिस्से अनुसार उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात का के विभाजन की प्राथमिक डिक्री प्रदान किये जाने का निवेदन किया ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसमे वादपत्र मे वर्णित तथ्यों की स्वीकारोक्ति की गई। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर वादपत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन किया गया। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा स्वयं को फोरमल पक्षकार होना बताकर जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जाना बताया। दिनांक 05.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प घोसुण्डा मे रखी जाकर अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित नहीं होना बताकर वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण वादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायायल मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1967 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1967 का जवाब प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1967 खारिज किये जाने का निवेदन किया व अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होना बताकर प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्षकारान के अभिवचनो पर सुनवाई करते हुए व अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1967 व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र पर का गहनता से अवलोकन व मनन किया।

न्यायाहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1967 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाति है।

अधिवक्ता अपीलांट्गण वादीगण ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा स्वयं को फोरमल पक्षकार होना बताकर जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जाना बताया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2010 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई जिसके लिए आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.12.2010 नियत की गई। दिनांक 01.11.2011 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की आदेशिका मे तनकियात कायम किया जाना अंकित है परन्तु पत्रावली मे पर्चा तनकीयात उपलब्ध नहीं है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पत्रावली मे तनकियात कायम किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार बिना तनकीयात कायम किये दिनांक 01.11.2011 की आदेशिका मे तनकीयात कायम किया जाना बताकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई जिसके लिए तारीख पेशी 24.01.2012 नियत की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत रहते हुए दिनांक 25.05.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प घोसुण्डा मे रखी जाकर उभय पक्षकारान के मध्य बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलांट्गण वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री

रत की है जो लोक अदालत की भावना क विपरीत होने व सिविल प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांटगण वादीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2019(1) पेज-291 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 05.06.2015 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायायल मे अपीलांटगण वादीगण द्वारा उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को स्वयं की पैतृक सम्पत्ति होना बताकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात की खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया। परन्तु अपीलांटगण वादीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात को स्वयं की पैतृक सम्पत्ति होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं करवाया गया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित नहीं होने से खारिज किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वक्त निर्णय सभी अपीलांटगण वादीगण उपस्थित होने के बावजूद अपीलांटगण वादीगण द्वारा अपील म्यांद बाहर प्रस्तुत किये जाने से निरस्त योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपील मेमो की कलम संख्या 4 वादपत्र मे वर्णित तथ्यों से हटकर होने के कारण अपील मे समाहित होने योग्य नहीं है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा खसरा पत्रक सम्वत 2042 भू-प्रबन्ध का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 विजयसागर व उसके पिता सूरसागर दोनो के नाम एक ही समय मे कृषि आराजीयात खातेदारी मे होना अंकित है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 विजयसागर के नाम खातेदारी मे दर्ज आराजीयात का अपीलांटगण वादीगण की पैतृक सम्पत्ति होना साबित नहीं होकर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 विजयसागर की स्वअर्जित सम्पत्ति होना प्रमाणित होता है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त क्रयशुदा आराजीयात का नामान्तरण रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्वीकृत होकर उक्त क्रयशुदा आराजीयात रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी मे दर्ज हुई है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 क्रय दिनांक से ही उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र मे गवाह न0 1 के रूप मे विक्रेता के पुत्र रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 के हस्ताक्षर है। साथ ही

विक्रय अनुबंध दिनांक 23.03.1998 पर अपीलांट्गण वादीगण संख्या 1 से 3 एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 के सहमति के रूप मे हस्ताक्षर है जिससे ये सभी विबन्धन के सिद्धान्त से प्रतिबंधित है। पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 का स्वयं की कयशुदा उक्त वर्णित आराजीयात पर सन 1998 से अर्थात 12 वर्षो से अधिक समय से कब्जा होने के कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अपीलांट्गण वादीगण रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध कब्जा प्राप्त करने और घोषणा संबंधी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य मे अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण वादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट्गण वादीगण ने रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के विरुद्ध कृषि आराजीयात की घोषणा बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व उक्त पत्रावली मे बिना तनकीयात कायम किये पत्रावली साक्ष्य मे नियत की गई। पत्रावली के साक्ष्य मे विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना-पत्र आदेश 8 नियम 1 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जो बहस मे विचाराधीन था। उक्त प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किये बगैर पत्रावली दिनांक 05.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत मे नियत कर दी व बिना लिखित राजीनामे के अपीलांट्गण वादीगण जो लोक अदालत मे उपस्थित हुए जिनके आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये जाकर बिना रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण की उपस्थिति दर्ज किये व उभय पक्षकारान के मध्य बिना लिखित राजीनामे के अपीलांट्गण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना नहीं मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2019 पार्ट-1 पेज 291 इस प्रकरण पर चस्पा होने से अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

स्वरूप अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 132/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 8 नियम 1 जाप्ता दीवानी का निस्तारण किया जाकर पत्रावली मे दावे व जवाबदावे के अनुसार तनकीयात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 19.09.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)